# न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—04 / विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), गोण्डा।

## पवन कुमार बनाम राधा देवी

## अन्तिम रिपोर्ट सं0—82 / 2026

**मुकदमा अपराध सं0—307 / 2023,**
**धारा—138 भारतीय विद्युत अधिनियम,**
**थाना—एण्टीपावर थेफ्ट, जिला—गोण्डा**

**दिनांकः—14.03.2026**

आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पत्रावली मुकदमा अपराध सं0—307 / 2023, अन्तर्गत धारा—138 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना—एण्टीपावर थेफ्ट, जिला—गोण्डा में विवेचक द्वारा प्रेषित की गयी अंतिम रिपोर्ट के निस्तारण हेतु पेश हुई।

वादी मुकदमा पवन कुमार, अवर अभियन्ता, 33 / 11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र कटरा, गोण्डा को न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन पर उनकी ओर से एस0डी0ओ0 वजीरगंज द्वारा उपस्थित समक्ष न्यायालय होकर बयान देते हुए अंतिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार कर मुकदमा उपरोक्त समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा पवन कुमार, अवर अभियन्ता टीम द्वारा चेक किये जाने पर पाया गया कि अभियुक्ता राधा देवी द्वारा बिना बकाया बिल जमा किये, पूर्व में विच्छेदित केबिल को बिना अनुमति के विच्छेदन संयोजन को जोड़कर विद्युत का अवैध रूप से उपयोग करती हुयी पायी गयी, जिसके आधार पर अभियुक्ता के विरूद्ध मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्ता की मृत्यु हो जाने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता के विरूद्ध अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। एस0डी0ओ0 वजीरगंज द्वारा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया है। अतः आपत्ति के अभाव में उपरोक्त मामले के तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट दिनांकित 10.01.2026 स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

मुकदमा अपराध सं0—307 / 2023, अन्तर्गत धारा—138 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना—एण्टीपावर थेफ्ट, जिला—गोण्डा में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं0—82 / 2026 **स्वीकार** की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

**(दानिश हसनैन)**
**J.O. Code UP 2727**
**अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—04 /**
**विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), गोण्डा।**

**दिनांक—14.03.2026**

Digitally signed by DANISH HASNAIN
Date: 2026.03.18 14:50:05 AEST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court